समझौता - ज्ञापन

2012 - 13

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

एवं

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

के बीच

समझौता-ज्ञापन (एमओयू)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एवं

विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार

के बीच

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए

भाग - I

1.1 **विजन/मिशन**

विजन

विश्वव्यापी कार्य-प्रचालन पर नज़र रखते हुए भारतीय विद्युत क्षेत्र और संबद्ध क्षेत्रों के उत्तरोतर विकास के लिए वित्त-पोषण करने वाला अग्रणी संस्थान बनना।

मिशन

पीएफसी का साध्य है : सर्वोत्तम उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करके विद्युत एवं वित्तीय क्षेत्र में सर्वाधिक अधिमान्य वित्तीय संस्थान बनना; विद्युत क्षेत्र में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देना ताकि उपभोक्ताओं को न्यूनतम लागत पर अपेक्षित क्वालिटी वाली बिजली उपलब्ध हो सके; विद्युत विकास के लिए विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली प्रदान करना; भारत में विद्युत क्षेत्र का सुधार करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना; तथा भविष्यत् विद्युत क्षेत्र के लिए मानव परिसंपत्तियां तथा प्रणालियां विकसित करना ।

1.2 उद्देश्य

1. विद्युत एवं संबद्ध क्षेत्रों को वित्तीय संसाधन प्रदान करना तथा निवेश-प्रवाह को बढ़ावा देना ।

2. वित्तीय, तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षेत्रों में अपने ऋणकर्ताओं की कार्य-प्रणाली को सुकर बनाते हुए उसका सांस्थानिक सुधार करने के लिए उत्प्रेरक (कैटेलिस्ट) के रूप में कार्य करना ताकि उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके ।

3. राज्यों को कार्य-निष्पादन पैरामीटरों एवं राज्यों में सुधार प्रक्रिया की प्रास्थिति और विद्युत संस्थाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्यधीन विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करना और तदनुसार बेहतर कार्य-निष्पादक राज्यों एवं विद्युत संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ब्याज दरें प्रदान करना ।

4. प्रतिस्पर्धी दरों पर विभिन्न प्रकार के अर्थात् घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय संसाधन जुटाना।

5. विद्युत क्षेत्र के प्रभावी एवं कार्यक्षम विकास के लिए इस क्षेत्र में कार्य-कुशलता का उन्नयन करने के सघन प्रयास करना ।

6. विद्युत क्षेत्र के लिए दक्ष कार्य-प्रचालन एवं अधुनातन वित्तीय इंस्ट्रूमेंट एवं सेवाएं आरंभ करके रेट ऑफ रिटर्न को अधिकतम करना ।

7. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना तथा पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम जैसी चीन्हित स्कीमों/कार्यक्रमों को सुकर बनाना तथा बढ़ावा देना ।

भाग - II

अधिकतम स्वायत्तता तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रयोग

- अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए, पीएफसी को इन परियोजनाओं के नाम से शैल कंपनियों का गठन करने में अग्रणी भूमिका निभानी है । इसके लिए पी.एफ.सी. को पूंजीगत व्यय वहन करना होगा ।

- इसी प्रकार की व्यवस्था प्रतिस्पर्धी बिडिंग रूट के माध्यम से विकसित की जाने वाली पारेषण एवं जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित है ।

भाग- III

2012-13 के लिए पीएफसी के कार्य-निष्पादन लक्ष्य

ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पीएफसी का भरसक प्रयास रहेगा कि संलग्न विवरणिका में यथोल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और पीएफसी का कार्य-निष्पादन उसमें दर्शाए गए मानदंड-भारांकों एवं लक्ष्यों के आधार पर आंका जाएगा ।

भाग -IV

भारत सरकार की वचनबद्धताएँ

1. विद्युत मंत्रालय, पीएफसी द्वारा समय-समय पर मंत्रालय के ध्यान में लाए गए अपेक्षाकृत सस्ते वित्तीय संसाधन जुटाने से संबंधित उन मुद्दों को सुलझाने में अपेक्षित सहायता प्रदान करेगा जिनमें अंतर-मंत्रालयीन परामर्श की आवश्यकता है, जिनके अंतर्गत कर मुक्त बॉण्ड्/ एसएलआर बॉण्ड्/करयोग्य बॉण्ड्/इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्/आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के अंतर्गत बॉण्ड्, बैंकों/संस्थानों से ऋण एवं ईसीबी(विदेशी वाणिज्यिक ऋण)/ सीधे विश्व बैंक/एडीबी से ऋण आदि शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक के एनबीएफसी दिशानिर्देशों से पीएफसी को छूट दिलाने संबंधी मुद्दों पर भी पीएफसी को अपेक्षित सहायता प्रदान की जाएगी ।

   विद्युत मंत्रालय आर-एपीडीआरपी स्कीम के लिए बजटगत आबंटन से पीएफसी को आवश्यक निधि प्रदान करेगा । आर-एपीडीआरपी पर आधारित कुछ करार राज्य विद्युत संस्थाओं तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच किए गए हैं, अतएव वे पीएफसी के नियंत्रण से परे हैं । इसलिए, पीएफसी विद्युत मंत्रालय के ध्यान में उन व्यावहारिक कठिनाइयों तथा तथ्यों को रखेगी जो पीएफसी के नियंत्रण से परे हैं । विद्युत मंत्रालय/पीएफसी सहमत हैं कि आर-एपीडीआरपी के लक्ष्य विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त निधियों की सीमा तक कम कर दिए जाएंगे ।

   राज्य विद्युत संस्थाओं की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण, विकासकों तथा ऋणदाताओं की बकाया राशि की अदायगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । विद्युत मंत्रालय, राज्य विद्युत संस्थाओं के कायाकल्प को सुगम बनाएगा । तब तक, जैसा कि पीएफसी द्वारा प्रस्तावित है, एनपीए को लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए ।

भाग- V

समझौता-ज्ञापन के कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग करने के लिए कार्य-योजना

प्रत्येक लक्ष्य के अंतर्गत कार्य-निष्पादन की समीक्षा :

(1) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों द्वारा मासिक आधार पर

(2) निदेशक मंडल एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर

समझौता-ज्ञापन लक्ष्यों की तुलना में कार्य-निष्पादन की मॉनीटरिंग तिमाही आधार पर विद्युत मंत्रालय में होने वाली कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकों में की जाएगी ।

सतनाम सिंह

(सतनाम सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पी.उमा शंकर)
सचिव
विद्युत मंत्रालय

दिनांक : 26.03.2012

स्थान : नई दिल्ली

पीएफसी– निष्पादन पैरामीटर एवं उनका भारांक : वर्ष 2012–13

क्रम संख्या	पैरामीटर	भारांक	वित्तीय वर्ष 2012–13					बीई (अति उत्तम श्रेणी)	
		(%)	उत्कृष्ट	अति उत्तम	उत्तम	अच्छा	निकृष्ट		
			1	2	3	4	5	2011–12	2012–13
भाग–क									
1	**स्थायी वित्तीय पैरामीटर**								
क)	**वित्तीय संकेतक–(लाभ संबंधित)**								
i)	आर–एपीडीआरपी को छोड़कर स्वीकृतियां (करोड़ रूपए में)	10	45,150	43,000	40,950	38,900	36,950	40,800	43,000
ii)	आर–एपीडीआरपी को छोड़कर संवितरण (करोड़ रूपए में)	6	40,000	36,300	34,600	32,900	31,200	32,200	36,300
iii)	आर–एपीडीआरपी संचालन समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं (लागतवार)(दिनांक 31/03/2011 को संचयी)(करोड़ रूपए में)	1	32,500	29,500	28,100	26,700	25,300	24,800	29,500
iv)	आर–एपीडीआरपी के तहत संवितरण (दिनांक 31/03/2011 को संचयी)(करोड़ रूपए में)	2	8,500	7,700	7,300	6,900	6,600	5,500	7,700
v)	प्रतिरूप निधियों के लिए वित्तीय संस्थानों से समझौता (दिनांक 31/03/2011 को संचयी) (करोड़ रूपए में)	1	14,271	12,900	12,300	11,700	11,100	लागू नहीं	12,900
vi)	प्रतिरूप निधियों के लिए वित्तीय संस्थानों से प्राप्त धनराशि का संवितरण (दिनांक 31/03/2011 को संचयी) (करोड़ रूपए में)	1	1,000	900	860	820	780	लागू नहीं	900
vii)	संसाधन जुटाना(करोड़ रूपए में)	5	40,500	36,800	35,100	33,400	31,700	27,500	36,800
viii)	उधार परिसंपतियों के(%) का निवल एनपीए (%)	4	1.25%	1.38%	1.44%	1.51%	1.59%	1.11%	1.38%
ix)	निवल मूल्य पर प्रतिफल (%)	5	14.80%	13.50%	12.80%	12.20%	11.60%	13.10%	13.50%
ख)	**वित्तीय संकेतक–(साइज संबंधित)**								
i)	सकल मार्जिन(करोड़ रूपए में)	5	15,130	13,750	13,090	12,440	11,820	10,860	13,750
ii)	कुल आय(करोड़ रूपए में)	5	15,630	14,200	13,530	12,850	12,210	11,190	14,200
ग)	**वित्तीय संकेतक–(उत्पादकता संबंधित)**								
i)	मूल्यह्रास,ब्याज एवं कर(पीबीडीआईटी)–पूर्व लाभ (करोड़ रूपए में)/कार्मिकों की संख्या	5	33.55	30.49	29.02	27.58	26.21	25.55	30.49
	स्थायी वित्तीय पैरामीटर का उप योग(क +ख +ग)	***50***							
2	**डायनिमिक पैरामीटर**								
i)	ओवरहेड्स/कुल आय (%)	4	1.10%	1.21%	1.27%	1.34%	1.41%	1.26%	1.21%
ii)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	5	विवरण अनुबंध–क में दिया गया है ।					लागू नहीं	
iii)	सतत् विकास	5	विवरण अनुबंध–ख में दिया गया है ।					लागू नहीं	
iv)	मानव संसाधन विकास	5	विवरण अनुबंध–ग में दिया गया है ।					लागू नहीं	
v)	डीपीई के दिनांक 22/06/2011के दिशानिर्देश के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेस का अनुपालन	5							
vi)	बोनस शेयर जारी करना(हां/नहीं)	1	हां				नहीं	लागू नहीं	
vii)	नियुक्ति में एससी,एसटी एवं ओबीसी के लिए आरक्षण(हां/नहीं)	1	हां				नहीं	लागू नहीं	
viii)	प्रतिनियुक्तों की तैनाती(हां/नहीं)	0.5	हां				नहीं	लागू नहीं	
ix)	2007 वेतन संशोधन कार्यान्वित करना(हां/नहीं)	1	हां				नहीं	लागू नहीं	
x)	सीडीए से आईडीए वेतनमान पद्धति में जाना(हां/नहीं)	1	हां				नहीं	लागू नहीं	
xi)	डीपीई दिशानिर्देश के अनुपालन में रिपोर्ट प्रस्तुत करना(तिथिं)	0.5	30.06.2012	31.08.2012	30.09.2012	31.10.2012	31.10.2012 के बाद		31.08.2012
xii)	कॉर्पोरेट गवर्नेस का अनुपालन– दिनांक 31/03/2012 को ऑडिट पैराओं/एटीएन का निस्तारण/लंबित(प्रतिशत में)	1	95%	90%	85%	80%	75%	85.00%	90%
	डायनिमिक पैरामीटर का उप योग	***30***							
भाग–ख									
3	**क्षेत्र विशिष्ट**								
i)	विद्युत मंत्रालय को राज्य बिजली कंपनियों की कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करना(तिथि)	4	31.01.2013	15.02.2013	28.02.2013	09.03.2013	15.03.2013	28.02.2012	15.02.2013
ii)	आर–एपीडीआरपी कार्यक्रम से संबंधित कार्यशाला/संगोष्ठी का आयोजन(संख्या में)	2	4	3	2	1	-	2	3
iii)	आर–एपीडीआरपी एवं डीआरयूएम(श्रम दिन) के तहत कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण	2	8,000	7,200	6,900	6,500	6,200	7200	7,200
iv)	डाटा सेन्टर(डीसी)/आपदा रिकवरी सेन्टर(डीआर) शुरू करना(दिनांक 31/03/2013 को संचयी)(राज्य– संख्या में)	1	16	14	13	12	11	लागू नहीं	14
v)	डाटा सेन्टर(डीसी)/आपदा रिकवरी सेन्टर(डीआर) के लिए हार्डवेयर, साफ्टवेयर की खरीददारी	1	4	3	2	1	-	लागू नहीं	3

पीएफसी– निष्पादन पैरामीटर एवं उनका भारांक : वर्ष 2012–13

क्रम संख्या	पैरामीटर	भारांक	वित्तीय वर्ष 2012–13					बीई (अति उत्तम श्रेणी)	
		(%)	उत्कृष्ट	अति उत्तम	उत्तम	अच्छा	निकृष्ट		
			1	2	3	4	5	2011–12	2012–13
	(छत्तीसगढ, हरियाणा, केरल एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए)(संख्या में)								
	क्षेत्र विशिष्ट पैरामीटर का उप योग	**10**							
4	**उद्यम विशिष्ट पैरामीटर**								
i)	भाग–क पूरा होना(दिनांक 31/03/2013 को संचयी)(नगरों की संख्या)	3	1,050	950	900	860	820	लागू नहीं	950
ii)	भाग–ख अवार्ड (दिनांक 31/03/2013 को संचयी)(नगरों की संख्या)	1	1,100	1,000	950	900	850	लागू नहीं	1,000
iii)	एससीडीए अवार्ड(दिनांक 31/03/2013 को संचयी)(नगरों की संख्या)	1	60	54	51	49	46	लागू नहीं	54
iv)	नगरों में रिंग की घेराबंदी करना(दिनांक 31/03/2013 को संचयी)(नगरों की संख्या)	2	1,400	1,270	1,210	1,150	1,090	लागू नहीं	1,270
v)	तृतीय पक्ष द्वारा बेसलाइन डाटा का सत्यापन (दिनांक 31/03/2013 को संचयी) (नगरों की संख्या)	3	1,100	1,000	950	900	850	लागू नहीं	1,000
	उद्यम विशिष्ट पैरामीटर का उप योग	**10**							
	कुल योग	***100***							
	परिभाषाएंः–								
i)	सकल मार्जिन	कर पूर्व लाभ + मूल्य मूल्यह्रास/परिशोधन + अन्य प्रभारों के अलावा ब्याज + पूर्व अवधि मदें							
ii)	निवल मूल्य	प्रदत्त पूंजी + रिजर्व एवं अधिशेष – अशोध्य एवं संदेहास्पद ऋण के लिए रिजर्व							
iii)	मूल्यह्रास,ब्याज एवं कर(पीबीडीआईटी) पूर्व लाभ	कर पूर्व लाभ + मूल्य मूल्यह्रास/परिशोधन + अन्य प्रभारों के अलावा ब्याज व्यय + पूर्व अवधि मदें							
iv)	निवल मूल्य पर प्रतिफल(आरओएनडब्ल्यू)	कर उपरांत लाभ(पीएटी)/निवल मूल्य							
v)	ओवरहेड्स	कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय +मूल्यह्रास + अप्रत्यक्ष संपतियों का परिशोधन							
vi)	ऋण परिसंपतियों (%) के प्रतिशत के रूप में निवल परिसंपतियॉ?(%)	(सकल एनपीए– संचित प्रावधान)/ऋण परिसंपतियां							
vii)	वितरण सुधार उन्नयन एवं प्रबंधन(डीआरयूएम)	भारत सरकार एवं यूएसएआईडी द्वारा पीएफसी के साथ कार्यान्वयन पार्टनर के रूप में द्विपक्षीय पहलें							
viii)	आर–एपीडीआरपी के अतिरिक्त स्वीकृति	आर–एपीडीआरपी स्वीकृतियों को छोड़कर, पीएफसी सहायक कंपनियों द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाएं							
ix)	आर–एपीडीआरपी	(आर–एपीडीआरपी)							

अनुबंध-क

सीएसआर समीक्षा के लिए टेम्पलेट्स

तालिका 1

5 चयनित परियोजनाओं का विवरण

क्र0सं0	*परियोजना का नाम*	*आरंभ होने की तिथि*	*पूर्ण होने की तिथि*	*वर्षवार ब्रेकअप के साथ आवंटित राशि (2012–13)*	*आवश्यक मूल्यांकन/ आधारभूत सर्वेक्षण पूर्ण होने की तिथि एवं एजेंसी का नाम*	*कार्यान्वयन एजेंसी का नाम एवं नियुक्ति की तिथि*	*दस्तावेजों एवं प्रचार–प्रसार पर व्यय राशि तथा नियुक्त एजेंसी का नाम*	*निगरानी एजेंसी का नाम*	*मूल्यांकन रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण (अलग शीट संलग्न की जाए)*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	क्षेत्रः ऊर्जा दक्षता (पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी) । कारगिल में सौर ऊर्जा अनुप्रयोग	प्रथम तिमाही	चतुर्थ तिमाही	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है।	परियोजना पूर्ण होने के उपरांत प्रस्तुत की जाएगी ।
2	क्षेत्रः प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को सहायता लेह–लद्दाख में मूसलधार बारिश से पीड़ितों हेतु निर्मित आवासीय यूनिटों में टॉयलेट एवं बाथरूम की सुविधा उपलब्ध कराना	प्रथम तिमाही	चतुर्थ तिमाही	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	–तदैव–
3	क्षेत्रः सौर ऊर्जा प्रणाली एएसआई स्थलों/ ऐतिहासिक इमारतों में सोलर प्रकाश प्रणाली की स्थापना करना	द्वितीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	–तदैव–
4	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्गो/ महिलाओं एवं समाज के आर्थिक कमजोर वर्ग हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम(1000 व्यक्ति)	तृतीय तिमाही	तृतीय तिमाही	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	–तदैव–
5	ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गांव गोद लेना। (दिनांक 31 मई,2012 तक विवरण उपलब्ध कराया जाएगा)	द्वितीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिया जाना है	–तदैव–
	कुल								

टिप्पणी :– बोर्ड के कार्यवृत्त, जिसमें सीएसआर का विशिष्ट बजट पास किया गया है, की प्रतिलिपि संलग्न की जाए। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा।(सीएसआर दिशानिर्देश का उपबंध 5.1)

संलग्नक

1 सूचीबद्ध पांच परियोजनाओं में से प्रत्येक के विस्तृत दस्तावेज/प्रचार सामग्री/प्रसार सामग्री के 5 नमूने संलग्न किए जाएं।

2 पांच चयनित परियोजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न की जाए।

3. प्रदान किए गए सीएसआर प्रशिक्षण का विवरण संलग्न किया जाए।(सीएसआर व्यय माना जाएगा)

सभी परियोजनाओं/गतिविधियों की सूचना टीआईएसएस हब को देने हेतु प्रपत्र

तालिका 2

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना का नाम/गतिविधि	रिपोर्टिंग करने की तिथि टीआईएसएस का विवरण डाटाबेस	टीआईएसएस द्वारा स्वीकृति सूचित करने की तिथि
(1)	(2)	(2)	(4)
1	कारगिल में सौर ऊर्जा अनुप्रयोग	तृतीय तिमाही	टीआईएसएस द्वारा स्वीकृति देने के उपरांत प्रस्तुत की जाएगी ।
2	लेह–लद्दाख में मूसलधार बारिश से पीड़ितों हेतु निर्मित आवासीय यूनिटों में टॉयलेट एवं बाथरूम की सुविधा उपलब्ध कराना	तृतीय तिमाही	टीआईएसएस द्वारा स्वीकृति देने के उपरांत प्रस्तुत की जाएगी ।
3	एएसआई स्थलों/ऐतिहासिक इमारतों में सोलर प्रकाश प्रणाली की स्थापना करना	तृतीय तिमाही	टीआईएसएस द्वारा स्वीकृति देने के उपरांत प्रस्तुत की जाएगी ।
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों/ महिलाओं एवं समाज के आार्थिक कमजोर वर्ग हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम(1000 व्यक्ति)	तृतीय तिमाही	टीआईएसएस द्वारा स्वीकृति देने के उपरांत प्रस्तुत की जाएगी ।
5	ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गांव गोद लेना	तृतीय तिमाही	टीआईएसएस द्वारा स्वीकृति देने के उपरांत प्रस्तुत की जाएगी ।

<u>सीएसआर व्यय का विवरण</u>

<u>तालिका</u> 3

क्रम संख्या	मद	राशि करोड़ या प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)
1	समीक्षाधीन वर्ष के लिए पीएटी	वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत प्रस्तुत की जाएगी ।
2	सीएसआर व्यय	पीएटी का न्यूनतम 0.5%
3	पीएटी के प्रतिशत के रूप में सीएसआर व्यय	0.5%
4	न्यूनतम विनिर्धारण के प्रतिशत के रूप में सीएसआर व्यय	100%
5	सीएसआर पर प्रशिक्षण व्यय(सीएसआर व्यय माना जाएगा)	2 लाख
6	सीएसआर बजट की शेष अव्यतित राशि को अगले वर्ष ले जाया गया	शून्य
7	सीएसआर बजट के प्रतिशत के रूप में सीएसआर हब को अंशदान	—

अनुलग्नक-ख

वर्ष 2012–13 के लिए एसडी लक्ष्य निर्धारित करने हेतु समझौता ज्ञापन का मसौदा

क्रम संख्या	गतिविधि	
1	क्या बोर्ड या उसकी नामित समिति द्वारा विनिर्दिष्ट एसडी योजना एवं बजट पास किया गया है ।	समिति के गठन पर विचार किया जा रहा है। एसडी योजना एवं बजट के लिए बोर्ड का अनुमोदन यथासमय प्राप्त किया जाएगा।

तालिका 1– एसडी समिति का विवरण(समिति का गठन विचाराधीन है)

बोर्ड स्तरीय नामित समिति का नाम	बोर्ड स्तरीय नामित समिति के अध्यक्ष	नियमित रूप से आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान लिए महत्वपूर्ण निर्णय
1	2	3	4

इस तालिका के लिए कुल अंक	0.5
कार्य दल द्वारा आबंटित अंक	

तालिका 2– पीएटी के प्रतिशत के रूप में कुल एसडी व्यय				
*पीएटी के प्रतिशत के रूप में लक्षित मूल्य (पांच पॉइन्ट स्केल परःदिशानिर्देश का पैरा 6.5.2.)		कुल व्यय (चालू वित्तीय वर्ष) (लाख रूपए में)	कर उपरांत लाभ (गत वित्तीय वर्ष) (लाख रूपए में)	पीएटी के प्रतिशत के रूप में वास्तविक व्यय
1		**2**	**3**	**4**
उत्कृष्ट	50 लाख रू0+पीएटी का 0.10 % 100 करोड़ रू0 से अधिक			
अति उत्तम	50 लाख रू0+पीएटी का 0.09 % 100 करोड़ रू0 से अधिक			
उत्तम	50 लाख रू0+पीएटी का 0.08 % 100 करोड़ रू0 से अधिक			
अच्छा	50 लाख रू0+ पीएटी का 0.07 % 100 करोड़ रू0 से अधिक			
निकृष्ट	50 लाख रू0+ पीएटी का 0.06 % 100 करोड़ रू0 से अधिक			
		इस तालिका के लिए कुल अंक		**1**
		कार्य दल द्वारा आबंटित अंक		

*टिप्पणी :– निष्पादन वर्ष हेतु पीएटी के अनुमानित वार्षिक व्यय प्रतिशत को वर्ष के लिए लक्ष्य माना जाएगा ।

तालिका 3– सीपीएसई द्वारा चुनी गई परियोजनाएं

क्र0 सं0	अनुसूची ए/बी	*परियोजना/गतिविधियां (कृपया अनुबंध–। देखें)	निष्पादन संकेतक (कृपया अनुबंध–॥ एवं दिशानिर्देश का पैरा 6.5.3. देखें)	परियोजनाओं/गतिविधियों पर कुल व्यय (लाख रूपए में)	प्रस्तावित अवधि एस/एम/एल	निर्धारित लक्ष्य (पांच पॉइन्ट स्केल पर:दिशानिर्देश का पैरा 6.5.3.)	लक्ष्य हासिल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ए	अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित परियोजना ली जाएगी	पर्यावरणीय स्थिति संकेतक(ईसीआई)		एस	उत्कृष्ट	
2	ए	ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित परियोजना ली जाएगी	परिचालन निष्पादन संकेतक(ओपीआई)		एस	उत्कृष्ट	
3	बी	कार्मिकों/साझेदारों को प्रशिक्षण	प्रबंधन निष्पादन संकेतक(एमपीआई)		एस	उत्कृष्ट	
3	ए/बी	वनरोपण से संबंधित परियोजना ली जाएगी	पर्यावरणीय स्थिति संकेतक(ईसीआई)		एस	उत्कृष्ट	
4	ए/बी	अपशिष्ट/ ऊर्जा /जल/एसडी रिपोर्टिंग प्रबंधन से संबंधित परियोजना ली जाएगी	एमपीआई/ओपीआई/ ईसीआई		एम	उत्कृष्ट	

*तालिका 3 की विनिर्दिष्ट परियोजना/गतिविधि को निदेशक मंडल के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत किया जाएगा

इस तालिका के लिए कुल अंक	**2.5**
कार्य दल द्वारा आवंटित अंक	

तालिका 4– परियोजनाओं का मूल्यांकन	
स्वतंत्र बाहरी एजेंसी/विशेषज्ञ/परामर्शदाता आदि द्वारा मूल्यांकित की गई परियोजनाओं की संख्या	
परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के उपरांत विवरण प्रस्तुत किया जाएगा ।	

इस तालिका के लिए कुल अंक	**0.5**
कार्य दल द्वारा आवंटित अंक	

तालिका 5– एसडी निष्पादन रिपोर्ट का प्रकाशन

गतिविधि	हां/नहीं	**एसडी रिपोर्ट की प्रकृति** (यदि हां तो क्या पृथक एसडी रिपोर्ट है या वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में, आदि)
1	2	3
एसडी निष्पादन रिपोर्ट	हां	वर्ष 2011–12 की वार्षिक रिपोर्ट में एसडी निष्पादन रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी

इस तालिका के लिए कुल अंक	**0.5**
कार्य दल द्वारा आबंटित अंक	
सभी तालिकाओं के कुल अंक	**5**
कार्यदल द्वारा आबंटित अंक	

समझौता–ज्ञापन के तहत एचआरएम निष्पादन मूल्यांकन के लिए टेम्पलेट								
क्र0 सं0	निष्पादन संकेतक	प्रस्तावित लक्ष्य						
		मापक यूनिट	अधिमान	उत्कृष्ट	अति उत्तम	उत्तम	अच्छा	संतोषजनक
ए 1	**अनिवार्य**							
	क्षमता एवं नेतृत्व विकास							
1	कार्यपालक प्रशिक्षण कार्य दिवस की वास्तविक प्राप्ति	**कार्य दिवस**	5	1017	904	791	678	565
2	विकास हेतु व्यवस्थित हस्तक्षेप के माध्यम से नेतृत्व विकास	**नेतृत्व विकास कार्यक्रमों के लिए कार्य दिवसों की प्राप्ति**	5	85	80	75	70	65
3	कार्मिक लागत के % के रूप में प्रशिक्षण बजट	**कार्मिक व्यय का %**	5	0.90 %	0.80 %	0.70 %	0.60%	0.50%
4	गैर–कार्यपालकों के बहु–कौशल /कौशल उन्नयन प्रशिक्षण हेतु वास्तविक कार्य दिवसों की प्राप्ति	**कार्य दिवस**	5	200	177	155	133	111
ए 2	**वैकल्पिक**							
5	360 डिग्री फीडबैक प्रणाली में कवर कार्यपालकों की संख्या	**संख्या**	5	35	28	21	14	7
	कुल		**25**					
बी	**निष्पादन प्रबंधन**							
6	केआरएसज़ आधारित पारदर्शी पीएमएस रेटिंग का कार्यान्वयन	कार्यपालकों का %	4	50%	40%	30%	30%	10%
7	कार्यपालकों की विकास योजना का निष्पादन प्रबंधन प्रणाली के साथ संबंध	कार्यपालकों का %	4	50%	40%	30%	30%	10%
8	डीपीई द्वारा विनिर्धारित बेल कर्व अप्रोच के साथ जुड़े पीआरपी का कार्यान्वयन	हां/नहीं, विवरण	2					
	कुल		**10**					
सी	भर्ती, रिटेंशन एवं प्रतिभा प्रबंधन							

समझौता–ज्ञापन के तहत एचआरएम निष्पादन मूल्यांकन के लिए टेम्पलेट

क्र0 सं0	निष्पादन संकेतक	प्रस्तावित लक्ष्य						
		मापक यूनिट	अधिमान	उत्कृष्ट	अति उत्तम	उत्तम	अच्छा	संतोषजनक
9	ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया का सृजन	**परिचालन की तिथि**	7	31-01-2013	15-02-2013	28-02-2013	15-03-2013	31-03-2013
10	मेंटरगि कार्यक्रमों की शुरूआत	**मेंटर/ मेंटीज्र की संख्या**	8	5 मेंटर 10 मेंटीज्र	4 मेंटर 8 मेंटीज्र	3मेंटर 6मेंटीज्र	2मेंटर 4मेंटीज्र	1मेंटर 2 मेंटीज्र
11	प्रतिभावान प्रबंधन के लिए पुरस्कार योजना की शुरूआत	**कार्यान्वयन की तिथि**	5	31-01-2013	15-02-2013	28-02-2013	15-03-2013	31-03-2013
	कुल		**20**					
डी	**कुल रचनात्मकता सृजनशीलता एवं अभिनवता**							
12	सुझाव योजना की शुरूआत	**सुझाव/ कार्मिक अनुपात**	8	1:10	1: 15	1: 20	1: 25	1:30
13	राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रस्तुत नामांकनों/प्रविष्टियों की संख्या(प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार/विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार–पीएफसी के लिए लागू नहीं)	**राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रस्तुत नामांकनों/प्रविष्टियों की संख्या**	7	4	3	2	1	0
	कुल		**15**					
ई	**कार्मिक संबंध एवं कल्याण**							
14	शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता– वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायत एवं निपटान की परस्पर तुलना करते हुए प्रतिशत	**निपटान का %**	4	90%	80%	70%	60%	50%
15	पठन कक्ष/जिमनेजियम की शुरूआत (प्रत्येक गतिविधि के लिए 2 अंक)	**परिचालन की तिथि**	4	31-01-2013	15-02-2013	28-02-2013	15-03-2013	31-03-2013
16	योग/ध्यान सत्रों की शुरूआत (5 दिवसीय अवधि)	**प्रति वर्ष आयोजित सत्रों की संख्या**	4	4	3	2	1	0

समझौता–ज्ञापन के तहत एचआरएम निष्पादन मूल्यांकन के लिए टेम्पलेट

क्र0 सं0	निष्पादन संकेतक	प्रस्तावित लक्ष्य						
		मापक यूनिट	अधिमान	उत्कृष्ट	अति उत्तम	उत्तम	अच्छा	संतोषजनक
17	कार्मिक प्रतिनिधियों के साथ संरचानात्मक बैठकों की संख्या	आयोजित बैठकों की संख्या	4	4	3	2	1	0
18	कार्मिकों के लिए स्वास्थ्य जांच का आयोजन	आयोजित जांचों की संख्या	4	4	3	2	1	0
	कुल		**20**					
एफ	**एचआर ब्रांडिंग एवं उत्कृष्टताः– इस क्षेत्र में उठाए गए कदमों की उपलब्धि उल्लेख करें , जैसे :–**							
19	बदलती व्यापार प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए एचआर नीति की समीक्षा/पुनःदेखना/पुन–बनाना	समीक्षा की गई नीतियों की संख्या	4	5	4	3	2	1
20	संस्कृति निर्माण पहलों का आयोजन (बच्चों को मान्यता देना/महिला दिवस कार्यक्रम/आपसी मेल–मिलाप का आयोजन)	पहलों की संख्या	3	4	3	2	1	0
21	कार्मिकों की स्वयं सेवा हेतु कंप्यूटरीकृत कार्मिक पोर्टल का कार्यान्वयन	परिचालन की तिथि	**3**	31-01-2013	15-02-2013	28-02-2013	15-03-2013	31-03-2013
	कुल		**10**					
	कुल योग		**100**					
	टिप्पणी :–कुल 100 अंकों में से एचआरएम हेतु सीपीएसई के लिए आबंटित अंकों को एमओयू में आनुपातिक आधार पर 5 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा।							

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

करोड़ रूपए में जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो

विवरण	2007–2008		2008–2009		2009–2010		2010–2011		2011–2012		2012–13
	उत्कृष्ट लक्ष्य	वास्तविक	उत्कृष्ट लक्ष्य	वास्तविक	उत्कृष्ट लक्ष्य	वास्तविक	उत्कृष्ट लक्ष्य	वास्तविक	उत्कृष्ट लक्ष्य	अनुमान	समझौता ज्ञापन में प्रस्तावित उत्कृष्ट लक्ष्य
सकल बिक्री (कुल आय)		5,040	5,465	6,584	6,118	8,077	9,350	10,161	12,360	12,650	15,625
सकल मार्जिन(पीएफसी परिभाषा के अनुसार)	1,385	1,777	1,720	1,998	1,890	3,015		लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं
सकल मार्जिन(डीपीई परिभाषा के अनुसार)		4,866		6,083		7,935	9,120	9,862	12,000	11,337	15,129
कर पूर्व लाभ		1,787		1,990		3,013		3,544		3,164	4,483
निवल संपतियां		77		75		75		77		82	84
सीपीएसई की शेयर पूंजी		1,148		1,148		1,148		1,148		1,320	1,320
सीपीएसई के रिजर्व एवं अधिशेष		8,182		10,360		12,113		14,035		18,816	21,030
सीपीएसई का निवल मूल्य		8,688		10,790		12,419		14,198		18,993	21,207
निवेश		66		36		31		54		54	54
कुल चालू परिसंपति		2,990		3,669		4,815		4,933		3,333	3,499
कुल चालू देयताएं एवं प्रावधान		2,416		3,576		3,698		3,318		1,335	1,402
निवल चालू परिसंपति		574		92		1,118		1,614		1,998	2,098
नियोजित पूंजी(निवल संपतियां + निवल चालू परिसंपतियां + ऋण परिसंपतियां + निवेश)		52,285		64,632		81,080		101,316		127,397	158,819
कुल देयताएं (ऋण निधियां)		41,715		53,069		67,772		86,050		107,178	136,386
कुल परिसंपतियां		52,285		64,632		81,080		101,316		127,397	158,819
सीपीएसई कार्मिकों की संख्या		307		316		324		373		425	451
लाभाशं भुगतान (सीडीटी सहित)#		470		537		604		699		847	923
जोड़े मूल्य(सकल मार्जिन में से सामाजिक सेक्टर के लिए नियोजित पूंजी से 4 प्रतिशत पूंजी वसूली एवं अन्य सीपीएसई से 10 प्रतिशत घटाए)		(363)		(380)		(173)		(269)		(1,402)	(753)
अनुपात											
देयता / इक्विटी		4.80		4.92		5.46		6.06		5.64	6.43
निवल मूल्य पर प्रतिफल(%)	12.50%	13.89%	13.00%	18.26%	13.51%	18.98%	15.96%	18.45%		12.46%	14.80%
पीबीडीआईटी / सीपीएसई का कुल निवेश		15.85		19.25		24.49	23.69	26.44	28.24	26.68	33.55
निवल लाभ / निवल मूल्य (%)	12.50%	13.89%	13.00%	18.26%	13.51%	18.98%	15.96%	18.45%		12.46%	14.80%
सकल मार्जिन कार्यशीलता(डीपीई परिभाषा के अनुसार)											
निवल लाभ		1,207		1,970		2,357		2,620		2,366	3,138
कर		580		20		656		925		798	1,345
कर पूर्व निवल लाभ		1,787		1,990		3,013		3,544		3,164	4,483
जोड़े –पूर्व अवधि		(5)		(0)		(0)		0		-	-
जोड़े – अतिरिक्त असाधारण मदें		-		-		-		-		-	-
पूर्व अवधि पूर्व लाभ		1,782		1,990		3,013		3,544		3,164	4,483
जोड़े – अन्य प्रभारों के अतिरिक्त ब्याज व्यय		3,080		4,089		4,918		6,313		8,169	10,640
सकल लाभ		4,861		6,079		7,931		9,857		11,332	15,123
जोड़े – मूल्यह्रास,परिशोधन		5		4		4		5		5	6
बट्टे खाते में डाले गए विविध व्यय		-		-		-		-		-	-
ब्याज, मूल्ह्रास एवं बट्टे खाते में डाले गए विविध व्यय से पूर्व सकल मार्जिन		4,866		6,083		7,935		9,862		11,337	15,129
वित्तीय सेक्टर के लिए अतिरिक्त											
वित्तीय संकेतक – प्रोफाइल संबंधित											
आर–एपीडीआरपी के अतिरिक्त संवितरण	14,440	16,211	19,300	20,729	21,160	24,487	27,000	34,121	35,500	35,500	40,000
आर–एपीडीआरपी के तहत संवितरण	लागू नहीं	-	लागू नहीं	325	1,321	1,321	2,500	2,257		लागू नहीं	लागू नहीं
संसाधन जुटाना	लागू नहीं	16,903	17,475	21,488	19,200	22,283	27,700	28,310	30,300	32,110	40,520
आर–एपीडीआरपी के अलावा स्वीकृति	27,720	69,498	50,600	55,082	58,100	59,228	60,000	61,532	45,000	45,000	45,150
आर–एपीडीआरपी के तहत स्वीकृति	-	-	-	1,948	1,900	6,237	9,000	13,665		लागू नहीं	लागू नहीं
मूल्य के संदर्भ में आरम्भ परियोजना		लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं				लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय प्रतिफल(उधार एवं संवितरण की लागत का अंतर)		लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं				लागू नहीं	लागू नहीं

सकल मार्जिन(डीपीई परिभाषा के अनुसार) = कर पूर्व लाभ +मूल्यह्रास / परिशोधन +अन्य प्रभारों के अलावा ब्याज व्यय + पूर्व अवधि मदें

सकल मार्जिन(पीएफसी परिभाषा के अनुसार) = कुल आय–ब्याज व्यय–शेयर जारी करने के व्यय–पीएण्डए व्यय

अनुबंध-X

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा स्व घोषणा/अनुप्रमाणन

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2012-13 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों में विहित मानदंडों तथा परिभाषाओं को अपनाते हुए वित्तीय मानदण्ड से संबंधित लक्ष्यों तथा वास्तविक उपलब्धियों का पूर्वाकलन विचलनों को ध्यान में रखते हुए एमओयू दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है। कार्य-निष्पादन के आकलन के समय , यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो एमओयू दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर डीपीई मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को इस संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता

दिनेश विज़ / DINESH VIJ
कार्यपालक निदेशक (निगम आयोजना)
Executive Director (Corporate Planning)
पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड / P.F.C. Limited
(भारत सरकार का उपक्रम) / (A Govt. of India Undertaking)
"ऊर्जानिधि" 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस,
"URJANIDHI" 1, Barakhamba Lane, Connaught Place,
नई दिल्ली-110001 / New Delhi-110001